

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खंडपीठ****लखनऊ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4446 वर्ष 2026**

अंकित

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग,
लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

: सुधीर कुमार राय, शिवम अवस्थी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन प्रार्थी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0332 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 80, 85, 123, 352 भा.न्या.सं एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस थाना - बिहार, जिला - उन्नाव में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है तथा वह दिनांक 31.1.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान प्रकरण के सूचककर्ता का परीक्षण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, जिसमें, उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसकी बहन को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वह भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होगा। इन परिस्थितियों में, प्रार्थी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं, किंतु उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि वर्तमान प्रकरण के सूचनाकर्ता ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के परस्पर तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरी यह राय है कि प्रार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. प्रार्थी - **अंकित** - को उपरोक्त अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थी ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसके प्रति वह आरोपी है, या संदिग्ध है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) प्रार्थी इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) प्रार्थी प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं/269 भा.न्या.सं के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं/84 भा.न्या.सं, के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध धारा 174-ए भा.दं.सं./209 भा.न्या.सं. के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) प्रकरण के प्रारंभ होने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) धारा 313 दं.प्र.सं./351 भा.न्या.सं. के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई है या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे व्यक्तिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 12, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।